Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. WT/4/2017/STGWB/SEOTH/RU-III **Date: 18.12.2018**

To,

1. The Secretary,
Council for the Indian School Certificate Examination,
Pragati House, 3rd Floor,
47-48 Nehru Place,
New Delhi - 110019

2. The Collector,
District – Darjeeling,
(West Bengal)

3. Superintendent of Police,
Darjeeling, (West Bengal)

Sub: Representation dated 06.03.2017 of Shri Wangdi Teshering, Ashok Bhawan, 12, M. V. Road, P. O. Kurseong, Distt- Darjeeling-734203, West Bengal regarding land matter. Delhi.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken by Shri Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice - Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 14.11.2018 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within months' time

Encl: As above

Yours faithfully,
18/12/2018
(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy to:

1. Shri Wangdi Teshering, Ashok Bhawan, 12, M. V. Road, P. O. Kurseong, Distt-Darjeeling-734203, West Bengal.
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. WT/4/2017/STGWB/SEOTH/RU-III

विषयः श्री वांगड़ी टैसरिंग, कुरसियोंग दार्जिलिंग के भूमि संबंधी विवाद के मामले में दिनाँक 14.11.2018 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथिः 14.11.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी – परिशिष्ट 'क'

श्री वांगड़ी टैसरिंग के अभ्यावेदन दिनाँक 06.03.2017 के भूमि संबंधित विवादित मामले जहां कैंबिरिज इंगलिश स्कूल कुरसियोंग उनके अशोक भवन मे बेदखल कब्जा कर अभी तक खाली नहीं करने बाबत माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने 14.11.2018 को बैठक आहुत की जिसमें सी. आई. एस. ई के सचिव तथा जिला कलेक्टर दार्जिलिंग को चर्चा हेतु बुलाया गया।

सबसे पहले आयोग ने अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जिन्होंने आयोग को बताया कि यह मामला 2003 से चल रहा है जिसे लगभग 15 साल हो गए है और अभी तक कैंबिरिज स्कूल हमारे अशोक भवन को खाली नहीं कर रहा है जिसका एग्रीमेन्ट 10 साल तक था और नया एग्रीमेंट नहीं हुआ है जिस स्कूल को लीज पर दिया गया है और किराया भी समय पर नहीं मिलता है। अभ्यावेदक की आजीविका स्कूल के किराये पर चलती है। स्कूल में अनाधिकृत 6 कमरों का निर्माण भी किया हुआ है जिसके लिए मेरी सहमति नहीं ली गई है।

कैंबिरिज स्कूल से आए हुए अधिकारी ने आयोग को यह बताया कि स्कूल प्रशासन इनको किराया समय पर नहीं देता है यह सरासर गलत है किराए की रसीद आयोग में प्रस्तुत कर रहें हैं। इस स्कूल का शुरु में किराया रु 3000/– था तो बढ़ते बढ़ते आगे रु 28,185/– हो गया है जिसकी रसीद स्कूल के पास है अगर स्कूल अनाधिकृत रुप से चल रहा है तो श्री वागंड़ी किराया रु 28,185 किसलिए लेते है जो यह तथ्यों को छुपा रहे है। यह सही है कि लीज समाप्त हो गई है इसका यह मतलब नहीं है कि हम अशोक भवन को खाली कर रहे है इसके लिए नई लीज बनाने की प्रक्रिया जारी है जहां तक अनाधिकृत निर्माण की बात है तो इसके लिए स्कूल ने जिलाधीश तथा पुलिस प्रशासन से स्वीकृति ली है और वैसे भी यह निर्माण कार्य अशोक भवन के सामने किया गया है जो जमीन अभ्यावेदक की नहीं है। कैंबिरिज स्कूल में लगभग पाँच हज़ार बच्चें शिक्षा ग्रहण करते है जिनके भविष्य का भी सवाल है। यह मामला ज्यादातर किराए से संबंधित है न कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार का है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

इस मामले में जिलाधीश दार्जिलिंग ने पत्र दिनांक 13.11.2018 को आयोग को सूचित किया कि मामला अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार का नहीं है अपितु किराए से संबंधित है। अगर पार्टी फिर भी नहीं चाहती है तो सिविल कोर्ट में मामला डाल सकते है।

सचिव सी.आई.एस.ई ने आयोग को बताया कि कैंबिरिज स्कूल के अधिकारी मेरे आदेश पर ही आयोग में चर्चा हेतु उपस्थित हुए है यह मामला भूमि विवाद से संबंधित लगता है जिसके बारे में ज्यादा स्पष्ट नहीं हूँ कि यह मामला 1993 का है और यह मेरे पहले के अधिकारी थे उस वक्त का है। जो अब जीवित भी नहीं है। फिर भी मैं इस मामले कि जाँच करवा कर उसकी रिपोर्ट आयोग में भी प्रस्तुत करुगां।

आयोग की अनुशंसा

आयोग ने सी.आइ.एस.सी.ई को यह सुझाव दिया कि सचिव सी.आई.एस.सी.ई इस मामले की स्वयं जाँच कर मामले को निपटाने के लिए कार्रवाई करे ताकि अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अहित न हो।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. WT/4/2017/STGWB/SEOTH/RU-III

विषयः श्री वांगड़ी टैसरिंग, कुरसियोंग दार्जिलिंग के भूमि संबंधी विवाद के मामले में दिनाँक 14.11.2018 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त।

परिशिष्ट 'क'

सिटिंग में भाग लेने वालों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पद
I	**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
1.	सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2.	श्री राकेश कुमार दुबे सहायक निदेशक
3.	श्री डी. सी. कटोच सलाहकार
II	**सी. आई. एस. सी. ई कार्यालय, नई दिल्ली**
1.	श्री जी. आरथू, सचिव
2.	श्री आर. एच. सोलर, सहायक सचिव
III	**जिला पदाधिकारी, दार्जिलिंग,** पश्चिमी बंगाल
1.	अनुपस्थित
IV	**पुलिस अधीक्षक, दार्जिलिंग,** पश्चिमी बंगाल
1.	अनुपस्थित
V	**याचिकाकर्ता**
1.	श्री नोरब टैसरिंग